

फर्द अहकाम

2021/94

न्यायालय

सहायक कलेक्टर चौबू जयपुर

खरदार सिंह

बनाम

अमर सिंह

मुकदमा संख्या / वर्ष

: दावा 46 / 20 21

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	<p>अन्तर्गत आदेश 53, 188 RTI Act <small>आज्ञा विस्तृत रूप से</small></p>	विशेष विवरण
	07.07.21	<p>महेश शर्मा वकील ने दावा पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। माफी पत्र द्वारा 80(2) CPC का खींच किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर है। मतिवाकिल की तलबी की जा कर पत्रावली दिनांक 15.07.21 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर चौबू (जयपुर)</p>	
	15/7/21	<p>वकील कदी उपर उल्लेखी सं. 1 की ओर से श्री योगेश्वर गोस्वामी सं. 12, 13, 18, 26 की ओर से श्री उमेश शर्मा सं. 9 की ओर से प्रारंभिक पत्र 07.11.21 CPC का पेश हुआ। नकल ही गइ। प्रतिकारी सं. 7, 2, 19 के नोटिस पत्र फोटो देने की रिपोर्ट तामिल कुनिन्दा ने की है। इनके कारण प्रारंभिक पत्र पेश करे। प्रतिकारी सं. 3, 5, 6, 10, 11, 15, 20, 34, 35, 38, 39, 40, की तामिल दे चुकी है किन्तु उपर नहीं है। शेष की तामिल विधित नहीं है। पुनः अभ्यन तलब का पेश करे। पत्रावली बाद तलबी व जवाब/कसूर व पेश करने वकालतनामा दिनांक 19/7/21 को पेश है।</p>	<p>30/7/21 U.T. 12, 13, 18, 26 15/7/2021</p> <p>प्रतिकारी सं. 1 की ओर से प्रारंभिक पत्र</p> <p>30/7/21</p> <p>30/7/21</p>
	19/7/21	<p>पत्रावली पेश हुई। व. फ. उपर वादी ने प्रारंभिक विज्ञा का पेश का निवेदन किया है कि प्रारंभिक में आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। सांगे कोई कार्यवाही नहीं चाले। विज्ञा कासा चाला है। वादी की पहचान नहीं।</p>	<p>30/7/21</p> <p>खरदार सिंह</p> <p>30/7/21</p>

मु.नं. 46/2021 उन्नत- साक्षर मंडल / अमरावती जिला.

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>बनवारी तालुका स्तरावर ए.ने कीटों काटने के बाद विज्ञान कानून की अनुमति दी जाती है एवं विज्ञान के आधार पर पत्रावली स्टाफिज की जाती है पत्रावली के सल सुमा देना वज नम्मा से कम है तथा दाखिले दफतर है।</p> <p>सहायक डॉक्टर वी.पी. (विद्यपुर)</p>	